न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वैर जिला भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः—मुनिदेव यादव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 112/20

निन्नूराम पुत्र स्व0 श्री सूखा उर्फ सूकाराम जाति भील नि0 ग्राम अजरौंदा पटवार हल्का सुहांस तह0 वैर जिला भरतपुर।

—वादी

बनाम

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार तहसील वैर जिला भरतपुर राजस्थान।

—प्रतिवादी

दावा धारा 88,89 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति : 1. विद्वान अधिवक्ता श्री प्रवीण चंद्र मिश्र (प्रार्थी)

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार वैर (अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक 14.03.2022

यह है कि वादी द्वारा वाद पत्र निम्न प्रकार पेश किया कि वाके ग्राम अजरौंदा तह0 वैर जिला भरतपुर में स्थित पुरानी खाता संख्या 255 व नई खाता संख्या 252 की आराजी ख0न0 124 रकवा 0.6100 है0 जिसका वादी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार काबिज आराजी है। यह है कि वादी जाति से भील है जो अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आता है। लेकिन दिनांक 10.06.2020 को अपनी आराजी की नकल जमाबंदी की प्रमाणित प्रति हल्का पटवारी से प्राप्त की तो उक्त नकल जमाबंदी में वादी की जाति भील बधिक दर्ज होने की जानकारी हुई। वादी ने अपनी आराजीयत के राजस्व रिकार्ड में जाति भील करने हेतु रिकार्ड से भील बधिक में से बधिक जाति को हटाने बाबत् सबंधित अधिकारी श्रीमान तहसीलदार सहाब को लिखित में प्रार्थना पत्र पेश किया तथा निवेदन किया कि मेरी वास्तविक जाति भील है लेकिन राजस्व कर्मचारियों की गलती से वादी की जाति भील बधिक दर्ज कर दी थी। जिससे वादी को कोई भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। वादी ने अपने दावे के साथ अपना जाति प्रमाण—पत्र तथा ग्राम पंचायत सुहांस की सरपंच का दिनांक 25.08.2020 का लैटर पैड पेश किया है। जिस पर सरपंच ग्राम पंचायत सुहांस के द्वारा यह प्रमाणित किया है कि निन्नूराम पुत्र सूखाराम जाति भील निवासी अजरौंदा है। तथा पहचान—पत्र, आधार कार्ड पेश किये है। जिनमें वादी की जाति केवल भील दर्ज है कहीं भी भील बधिक दर्ज नही है।

उपखण्ड अधिकारी
वैर (भरतपुर) राज0

दावा दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये प्रतिवादी की ओर से अपने जबाव में तहसीलदार वैर द्वारा अपनी जांच क्रमांक/एलआर/22/547 दिनांक 08.03.2022 को पेश की जिसमें पटवारी हल्का जांच रिपोर्ट अनुसार राज0 गजट के अनुसार भील जाति है जो अनुसूचित जनजाति वर्ग में आती है। बधिक नाम की कोई जाति राज0 गजट के किसी भी वर्ग में दर्ज नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा समस्त दस्तावेजात एवं हल्का पटबारी सुहांस एवं तहसीलदार की जांच रिपोर्ट से यह तथ्य सामने आये हैं कि वादी निन्नूराम पुत्र सूखा उर्फ सूखाराम जाति भील बधिक निवासी ग्राम अजरौंदा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो रहा है। वह गलत है जिसको शुद्व किया जाना आवश्यक है।

वादी की ओर से वाद–पत्र के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2074 एवं खसरा गिरदावरी संवंत 2074, जाति प्रमाण पत्र निन्नू पुत्र सूखा दिनांक 07.12.2016 की मूल प्रति, प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत सुहांस, पहचान पत्र, आधार कार्ड की फोटो प्रति प्रस्तुत की है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वाद–वादी इस प्रकार डिक्री किया जाकर घोषित किया जाता है कि वाके ग्राम अजरौंदा पटवार हल्का सुहांस तह0 वैर जिला भरतपुर में स्थित आराजी ख0न0 124 रकवा 0.6100 है0 पर वादी की जाति भील बधिक को कलमजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में केवल भील दर्ज किया जावे। पर्चा डिग्री जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 14.03.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
उपखण्ड अधिकारी
वैर, भरतपुर